न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 136/2024 लीलादेवी वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-6-25	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम सालावास के खसरा नंबर 103/7 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, 103/10 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, 103/11 रकबा 0.3237 हैक्टेयर व 103/12 रकबा 0.1619 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त भूमि पूर्व में मूल खसरा नम्बर 103/7 में सभी खातेदारो के नाम दर्ज थी। सभी प्रार्थीगण के उक्त भूमि की बटवाड़ा दिनांक 10.04.2015 को तहसीलसर के समक्ष पेश कर दिया था। उक्त बंटवाड़ा में नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया, उसी नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगण आज की भी मौके पर काबिज है परंतु हाल ही में हुई आनलाईन तरमीम में हम प्रार्थीगण के खसरे नक्शे में इधर-उधर कर दिये गये। इस कारण प्रार्थीगण कब्जे व काश्त के अनुसार ऑनलाईन नक्शा में शुद्धिकरण करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/569 दिनांक 25.09.2024 के द्वारा तहरीर जारी कर प्रकरण में जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भूअ./2025/390 दिनांक 06.02.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पपष्ट है कि ग्राम सालावास के खसरा नंबर 103/7 रकबा 0.1619 हैक्टेयर 103/10 रकबा 0.3237 है, 103/11 रकबा 0.3237 खसरा नंबर 103/12 इसकी 0.1619 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम लटठा नक्शा एवं संलग्न बंटवाड़ा प्रपत्र में अंकित नजरी नक्शा है तथा मौके अनुसार नहीं है। जो कि उक्त रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी सालावास की जाँच रिपोर्ट दिनांक 03/02/2025 में नजरी नक्शा में अंकित है। साथ ही खसंरा संख्या 103/7, 103/10, 103/11, 103/12 की तरमीम शुद्धि से खसरा नम्बर 103 की तरमीम भी प्रभावित होना अंकित किया गया तथा खसरा नंबर 103 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर का स्थगन होना बताया गया। अतः उक्त प्रकरण में तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के संलग्न हल्का पटवारी सालावास की जाँच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नंबर 103/7, 103/10, 103/11 व 103/12 की तरमीम नक्शा लटठा तथा बंटवाड़ा आदेश में अंकित नजरी नक्शा के विपरीत होने से अन्य प्रभावित खसरो के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया तथा प्रभावित खसरा नम्बर 103 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी का स्थगन आदेश होने के प्रार्थीगण का प्रार्थता पत्र अन्तर्गत धारा 131 स्वीकार योग्य प्रतीत नही होने से खारीज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	